**के ीय सरकार के कर्मचारियों को गृह निर्माण हेतु ऋण**

2971. **श्री कैलाश नारायण सारंग :**

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपाक रेंगे कि :

(क) गृह निर्माण के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि कितनी है तथा यह सीमा किस साल निर्धारित की गई थी ;

(ख) क्या यह राशि दिल्ली या किसी अन्य बड़े शहर में एक अच्छे घर के निर्माण के लिए पर्याप्त है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस सीमा को अब तक न बढ़ाये जाने के कारण क्या हैं ; और

(घ) इसे किस सीमा तक बढ़ाया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में आदेश कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) किसी सरकारी कर्मचारी को मकान के निर्माणार्थ गृह निर्माण अग्रिम नियमावली के तहत अनुज्ञेय अधिकतम धनराशि 2.50 लाख रुपये है। यह अधिकतम सीमा वर्ष 1987 में निर्धारित की गई थी।

(ख) लागतों में बढ़ोतरी को देखते हुए यह धनराशि नाकाफी हो सकती है।

(ग) गृह निर्माण अग्रिम की मात्रा इसलिए नहीं बढ़ाई गई हैं ताकि अधिकतर कर्मचारियों को सहायता दी जा सके। गृह निर्माण अग्रिम की धनराशि में वृद्धि करने से लाभार्थियों की संख्या घट जाएगी, क्योंकि निधियां सीमित हैं।

(घ) गृह निर्माण अग्रिम की राशि में बढ़ोत्तरी करने का कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय में इस समय विचाराधीन नहीं है।

**Glazing of balconies in Vasant Vihar Government quarters**

2972. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the resident of Central Government Housing Complex, Vasant Vihar, New Delhi have submitted their representation to Government on the 4th August, 1994 and on the 28th November, 1994, respectively, regarding glazing of balconies;

(b) *if so, the details thereof;*

(c) whether it is also a fact that Government had already given permission to the allottees of Government quarters in other areas regarding additional construction of their residence, if a allottee is ready to bear 10% of the costs, if so, the number of quarters which have been given permission to construct/glazing of balconies during the year 1993-94, 1994-95 till date, type-wise, area-wise details; and

(d) if the answer to Part (a) above, is in affirmative, what action have been taken in this regard and by when the said work will be started or given permission to the allottees?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes, Sir.

(b) The representations pertain to requests for glazing of balconies.

(c) Yes, Sir; but the items to be covered against 10% deposit of the cost include only approved items. Glazing of balconies is not an approved item for this purpose.

(d) Does not arise in view of reply to part (c) above.